राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 417/2023

डॉ. साधना गुप्ता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. अधीक्षक, जनाना अस्पताल, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.01.2023
आदेश की दिनांक : 06.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर जनाना अस्पताल, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने तीन वर्ष पूर्व जारी स्थानान्तरण आदेश की पालना में आलोच्य आदेश दिनांक 20.12.2022 (अनुलग्नक–1) से कार्यमुक्त कर अपीलार्थी को अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा कार्यमुक्ति आदेश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि चिकित्सक को तीन वर्ष पश्चात् इस कार्यालय के लिए कार्यमुक्त किया गया है, जिसके कारण उसको कार्यग्रहण करवाया जाना संभव नहीं है, इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आलोच्य आदेश दिनांक 04.01.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को ए.पी.ओ. कर अग्रिम उपस्थिति निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के समक्ष अग्रिम उपस्थिति देने के लिए कार्यमुक्त किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपीलार्थी को तीन वर्ष पूर्व जारी स्थानान्तरण आदेश की पालना में कार्यमुक्त किया गया था। कार्यमुक्ति आदेश की पालना नहीं होने से व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 3 बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 04.01.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा ए.पी.ओ. किया गया है, उक्त ए.पी.ओ. आदेश जारी करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 3 सक्षम अधिकारी नहीं है तथा अपीलार्थी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने में एक वर्ष का समय शेष है और वह दिनांक 31.01.2024 को सेवानिवृत्त होने वाली है, इसलिए आलोच्य आदेश अनुचित एवं विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 20.12.2022 एवं 04.01.2023 (अनुलग्नक–1 एवं 2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर तर्क दिया कि अपीलार्थी को स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 की पालना में कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी को तीन वर्ष बाद कोरोना महामारी होने के कारण कार्यमुक्त किया गया है। इसलिए उक्त आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की दुर्भावना एवं नियमों की अवहेलना नहीं की गई है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जाए।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर जनाना अस्पताल, जयपुर में कार्यरत है। चूंकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 29.09.2019 (अनुलग्नक–3) के द्वारा किया गया था और आदेश दिनांक 03.01.2023 व 04.01.2023 (अनुलग्नक–1 व 2) के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को तीन वर्ष बाद कार्यमुक्त किया गया है, जिसके क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा कार्यग्रहण कराया जाना संभव नहीं बताया गया है और उसे निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर अपनी उपस्थिति हेतु भेज दिया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उक्त दोनों आलोच्य आदेश दिनांक 20.12.2022 एवं आदेश दिनांक 04.01.2023 बिना विवेक का

प्रयोग किए जारी किए गए हैं, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.12.2022 एवं आदेश दिनांक 04.01.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है। अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य